



प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
उ०प्र० हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना,
इन्दिरानगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा
अधीक्षक/अधीक्षिका/इकाई प्रभारी(संलग्न सूची के अनुसार)।

पत्रांक: 956/यू०पी०एच०एस०एस०पी०/बजट आवं०/जनपद/2016-17 दिनांक: 31 मई, 2016

विषय: उ०प्र० हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के लेखाशीर्षक-2210-01-110-97-01-हेल्थ सिस्टम परियोजनायें (यू०पी०एच०एस०एस०पी० के अंतर्गत सुदृढीकरण) के लिये स्वीकृत बजट से मानक मद संख्या 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु मानक मद सं०-19 में विज्ञापन (आई०ई०सी०), मानक मद संख्या 42-अन्य व्यय, मानक मद सं०-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में चिकित्सालयों के निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (पुरुष/महिला) बजट आवंटन के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के अनुदान संख्या 32 के लेखाशीर्षक 2210-01-110-97-01-हेल्थ सिस्टम परियोजनायें (यू०पी०एच०एस०एस०पी० के अंतर्गत सुदृढीकरण) के अंतर्गत परियोजना के बजट से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० के पत्र संख्या-019-17 फ(नि०ब०)/16-17/19 दिनांक 26.05.2015 द्वारा मानक मद संख्या 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग, हाई एण्ड पैथालाजी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, एन०ए०बी०एच० एक्रिडिटेशन हेतु लाईसेंसिंग फीस, मानक मद सं०-19 में विज्ञापन (आई०ई०सी०) मद में एन०ए०बी०एच० गतिविधि के प्रचार प्रसार हेतु, मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय में डेपिक्स साफ्टवेयर के संचालन व्यय एवं एन०ए०बी०एच० आच्छादित चिकित्सालयों फार्म एवं फार्मेट्स की छपाई आदि हेतु एवं मानक मद सं०-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में एन०ए०बी०एच० प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम त्रैमासिक हेतु निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/इकाई प्रभारी को बजट का आवंटन महानिदेशालय द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना द्वारा पृथक से सूची संलग्न की जा रही है जिसमें मानक मद संख्या 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग, हाई एण्ड पैथालाजी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, एन०ए०बी०एच० एक्रिडिटेशन हेतु लाईसेंसिंग फीस, मानक मद सं०-19 में विज्ञापन (आई०ई०सी०) मद में एन०ए०बी०एच० गतिविधि के प्रचार प्रसार हेतु, मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय में डेपिक्स साफ्टवेयर के संचालन व्यय एवं एन०ए०बी०एच० आच्छादित चिकित्सालयों फार्म एवं फार्मेट्स की छपाई आदि हेतु एवं मानक मद सं०-44-प्रशिक्षण मद में एन०ए०बी०एच० एक्रिडिटेशन से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु धनराशि पृथक-पृथक अंकित की गयी है जिसके अनुसार आप द्वारा भुगतान किया जाना है।

व्यय से पूर्व निम्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय, किये गये अनुबन्ध की शर्तों, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद से किया जायेगा।

